प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अड़तालीस'

[27/7/2016]

प्रश्न सं. [क. 3345]

परिशिष्ट - 'अ'

[मध्यप्रदेश पुलिस मेन्युअल एवं रेगुलेशन्स / नियम 58-62

58. विलोपित।

59. परिवीक्षा—प्रत्येक रंगरूट दो वर्षों के लिये परिवीक्षा पर होगा जो कि प्रत्येक छै माहों की दो अवधियों का हो सकता है यदि अधीक्षक इसे उचित समझे। इस परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान यदि अधीक्षक की राय में उसका संतोषप्रद पुलिस अधिकारी बनना असंभावित है तो उसकी सेवा किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

60. बाल अर्दली—आरक्षक के रूप में 18 वर्ष के अन्दर की उम्र वाले बालकों को कुछ संख्या को नियुक्तियां अधीक्षकों द्वारा दी जा सकती हैं। वे "बाल अर्दली" के रूप में जाने जाते हैं और साधारण आरक्षक का आधा वेतन प्राप्त करते हैं। ऐसी नियुक्तियां करने में पुलिस पदाधिकारियों के लड़कों एवं सम्बन्धियों को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिये या शासन की अच्छी सेवा किये हैं ऐसे लोगों के लड़कों एवं सम्बन्धियों को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिये। जैसे ही बाल अर्दली विनियम 53 में दी गई शर्तों को पूर्ण कर देता है तब पहली रिक्ति जो हो उसमें नियुक्ति के लिये उसे दावा की प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

61. अर्दलीगण—निरीक्षक के स्तर के एवं उसके ऊपर के स्तर के सभी पदाधिकारी निम्न लिखित मान से आरक्षक अर्दली पाने के लिये अधिकृत हैं—

महानिरीक्षक—एक मुख्य आरक्षक एवं तीन आरक्षक

उप-महानिरीक्षक 'सामान्य'—एक मुख्य आरक्षक एवं दो आरक्षक

पुलिस अधीक्षक—दो आरक्षक

पुलिस सहायक अधीक्षक—एक आरक्षक

पुलिस उप-अधीक्षक—एक आरक्षक

निरीक्षक—एक आरक्षक

कोई भी आरक्षक या मुख्य आरक्षक जब तक दल में उसकी दस वर्ष की सेवा नहीं हो जाती और साधारण पुलिस के कर्त्तव्यों को वह सीख नहीं जाता है, अर्दली के रूप में चुना नहीं जाएगा। अर्दली को घरेलू नौकर के कर्त्तव्यों को करने के लिये नियोजित नहीं किया जाएगा और न उसे ऐसा कार्य दिया जाएगा जो कि आरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को नीचे होने की संभावना हो। तबादला के आदेशों पर पुलिस विभाग के अधिकारियों को एक जिले से दूसरे जिले में अर्दलियों को ले जाने के लिये अनुमति नहीं है।

टिप्पणी

जिला दण्डाधिकारी को जिले में यदा-कदा इस बात का भी पर्यवेक्षण कर शासन को रिपोर्ट देना चाहिये कि किस-किस थानों में कितना स्टाफ कम है, तथा अर्दली के रूप में किसी अधिकारी के यहां कितने व्यक्ति कार्यरत है, तथा उनकी ड्यूटी कहां बताई जा रही है।

खंड पांच—सेवा की सामान्य शर्तें

62 नामांकन प्रमाणपत्र (अभ्यावेदन Enrolment certificate)—पुलिस एक्ट, 1961 की धारा 8 के अन्तर्गत सहायक या अधीक्षक के स्तर से निम्न स्तर का प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी नियुक्ति होने पर, प्रथम नियुक्ति की तिथि प्रदर्शित करने वाला प्रमाणपत्र अधिनियम के साथ संलग्न फॉर्म में प्राप्त करेगा। प्रत्येक पुलिस अधिकारी अपने साथ अपना प्रमाणपत्र रखेगा और जब कभी उसके प्राधिकार का प्रश्न उपस्थित हो अपने पद के शक्ति-पत्र (वारन्ट) के रूप में प्रदर्शित करने के लिये तैयार रहेगा। जब वह छुट्टी में जाता है उसकी नियुक्ति का प्रमाण-पत्र उसकी वर्दी के साथ ही

अनुभाग अधिकारी
गृह (पुलिस) विभाग,
मंत्रालय, भोपाल